

कैबल संदेश संख्या 810 / भा.क.अ.प. मुख्या.  
दिनांक 18/02/2016  
पृष्ठों की संख्या 04


INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH  
KRISHI BHAVAN: NEW DELHI

F. No. FIN/22/19/2007-CDN (A&A)

Dated the 18<sup>th</sup> February, 2016

**ENDORSEMENT**

The Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs has issued instructions regarding the rates of interest for purchase of Conveyance during 2015-2016 i.e. from 1<sup>st</sup> April, 2015 to 31<sup>st</sup> March 2016 As approved by the Competent Authority, this OM F.No. 5(2)-B(PD)/2015 dated 3<sup>rd</sup> February, 2016. has been posted on the ICAR website [www.icar.org.in](http://www.icar.org.in) for information, guidance and strict compliance.

  
18/02/2016  
(RAJESH SAHAY)  
Sr. Finance & Accounts Officer.

**Distribution:**

**I ICAR Institutes:**

1. Directors/Joint Directors/Project Directors of all Research Institutes/Project Directorates and National Research Centres/Bureaux
2. Project Coordinators/Coordinated Research Projects/Zonal Project Directors.
3. The Finance & Acctts. Officers of all Research Institutes, Project Directorates and National Research Centres.

**II ICAR Headquarters:**

1. All Officers/Sections, ICAR, Krishi Bhavan, New Delhi including Krishi Anusandhan Bhavan I & II, NASC, Pusa, New Delhi
2. ADG (CDN) / ADG (PIM) / PD, DKMA
3. ND, NAIP / Chairman, ASRB
4. NC, NFBSFARA
5. Director (A), ICAR Hqrs / Director (DARE)
6. DS (WS) / US (Cash)
7. Cash - I, II and Audit - II Sections, ICAR, Krishi Bhavan, New Delhi
8. Sr. PPS to Secretary, DARE & DG, ICAR / PPS to Additional Secretary, DARE & Secretary, ICAR / PPS to AS & FA, DARE / ICAR
9. Shri Hans Raj, Information System Officer, Agriculture Knowledge Management Units (AKMU), KAB-I Pusa, New Delhi-12 for placing the above mentioned OM in the ICAR Website.
10. Secretary (Staff Side)
11. Guard file
12. Spare copies-10



**भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद**  
**INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH**  
**कृषि भवन, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली-110 001**  
**Krishi Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi 110 001**

फा०सं० वित्त/22/19/2007-सीडीएन (एएंडए)

दिनांक : 18 फरवरी, 2016

**पुष्पक**

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामले विभाग ने 2015-16 के दौरान अर्थात् 01 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016 तक वाहन खरीदने के लिए ब्याज की दरों के संबंध में अनुदेश जारी किए हैं। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से दिनांक 03 फरवरी, 2016 के इस कार्याज्ञा.फा.सं. 5(2)/बी(पीडी)/2015 को सूचना, मार्गदर्शन एवं सख्ती से अनुपालन हेतु भाकृअप की वेबसाइट [www.icar.org.in](http://www.icar.org.in) पर अपलोड किया गया है।

— 2. प्रकाश  
 18/02/2016  
 (राजेश सहाय)  
 वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी

**वितरण :**

**I भाकृअप के संस्थान :**

1. सभी अनुसंधान संस्थानों/परियोजना निदेशालयों और राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों/ब्यूरो के निदेशक/संयुक्त निदेशक/परियोजना निदेशक।
2. परियोजना सहायक/संचालित अनुसंधान परियोजना/क्षेत्रीय परियोजना निदेशक।
3. सभी अनुसंधान संस्थानों, निदेशालयों और राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों के वित्त एवं लेखा अधिकारी

**II भाकृअप मुख्यालय :**

1. भाकृअप, कृषि भवन, कृषि अनुसंधान भवन I एवं II, एनएससी, पूसा, नई दिल्ली में सभी अधिकारी/अनुभाग।
2. सहायक महानिदेशक (सम.तक.)/सहायक महानिदेशक (पीआईएम)/परियोजना निदेशक (डीकेएमए)।
3. एनडी, एनआईपी/अध्यक्ष, एएसआरबी।
4. एनसी, एनएफबीएसएफएआरए।
5. निदेशक (प्रशा.), भाकृअप मुख्यालय/निदेशक (डेयर)।
6. उप-सचिव (कार्य अध्ययन)/अवर सचिव (रोकड़)।
7. रोकड़-I, II और ऑडिट-II अनुभाग, भाकृअप, कृषि भवन, नई दिल्ली।
8. सचिव, डेयर एवं महानिदेशक, भाकृअप, के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव/अपर सचिव, डेयर एवं सचिव भाकृअप, के प्रधान निजी सचिव/अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, डेयर/भाकृअप के निजी सचिव।
9. श्री हंसराज, सूचना प्रणाली अधिकारी, कृषि ज्ञान प्रबंधन इकाई निदेशालय (डीकेएमयू), कैब-I पूसा, नई दिल्ली-12 को उपरोक्त कार्याज्ञा को भाकृअप की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
10. सचिव (कर्मचारी पक्ष)।
11. गार्ड फाईल
12. अतिरिक्त प्रतियां - 10।

SI → 38(R)

222

आ. व. म. वि. म. परिषद  
आ. व. म. वि. म. परिषद  
Secy. (A & A)  
(DARE/ICAR) 661R  
दि. नं./दि. नं. 16/2/16

F.No. 5(2)-B(PD)/2015 N (A & A)  
Government of India  
Ministry of Finance  
Department of Economic Affairs  
No. 309/16 (A & A)  
Date 16/2/16

New Delhi, the 3<sup>rd</sup> February, 2016

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Advances to Government servants — Rate of interest for purchase of conveyances during 2015-2016

The undersigned is directed to state that the rates of interest for advances sanctioned to the Government servants for purchase of conveyances during 2015-2016 i.e. from 1<sup>st</sup> April, 2015 to 31<sup>st</sup> March, 2016 are as under:

	Rate of interest per annum
(i) Advance for purchase of conveyance other than motor car (viz. motor cycle, scooter etc.)	9%
(ii) Advance for purchase of motor car	11.5%

The rates remain unchanged from those applicable for the financial year 2014-15.

Handwritten initials and date: 16/2/16

(A.K. Bhatnagar)  
Under Secretary (Budget)

- To
- All Ministries/Departments of the Government of India with spare copies for Integrated Finance Division (IFD), Controller of Accounts and Pay and Accounts Offices.
  - Finance Secretaries of UTs without legislature.
- Copy forwarded to:
- CAAG of India, New Delhi.
  - CGA, New Delhi.
  - CGDA, New Delhi.
  - All AGs and Director of Accounts.
  - Supreme Court of India.
  - UPSC, New Delhi.

(A.K. Bhatnagar)  
Under Secretary (Budget)

एफ.संख्या 6(2)-बी(पी.डी.)/2016

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 3 फरवरी, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय- सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले अधिभ - 2015-2016 के दौरान वाहन खरीदने के लिए ब्याज की दर।

अधोस्तम्भों को ध्यान देने का निदेश दिया है कि वर्ष 2015-2016 के दौरान अर्थात् पहली अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016 की अवधि में वाहनों की खरीद के लिए सरकारी कर्मचारियों को स्वीकृत किए जाने वाले अधिभों के लिए ब्याज की दरें निम्नानुसार हैं-

ब्याज की  
वार्षिक दर

(i) मोटर-कारों को खरीदने के लिए अधिभ (अर्थात् मोटरसाइकिल, लकड़वा, आदि)

9 प्रतिशत

(ii) मोटर-कार खरीदने के लिए अधिभ  
वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए लागू दरों में कोई परिवर्तन नहीं है।

11.5 प्रतिशत

(ए.के. भटनागर)  
सचिव (बजट)

- सिवा में
1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के एकीकृत वित्त प्रयोग लेखा नियंत्रक और प्रेक्चर एवं लेखा कार्यालयों के लिए अतिरिक्त अतिरिक्त अधिभ।
  2. विद्युत निधानमंडल वाले सभी राज्य क्षेत्रों के वित्त सचिव।

प्रतिलिपि भेजित-

1. भारत के नियंत्रक महालेखा पथिक, नई दिल्ली।
2. महालेखा नियंत्रक, नई दिल्ली।
3. उच्चा महालेखा नियंत्रक, नई दिल्ली।
4. सभी महालेखाकार और लेखा निदेशक।
5. राष्ट्रीय सर्वोच्च न्यायालय।
6. संप्रभुत्व क्षेत्राधिकार, नई दिल्ली।

Sy. Jais  
(CDM)

16/2/16

S.O. CDM (AZA)

- 2/16/16 16/2/16

(ए.के. भटनागर)  
सचिव (बजट)